



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07022025-260806
CG-DL-E-07022025-260806

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 87]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 7, 2025/माघ 18, 1946

No. 87]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 7, 2025/MAGHA 18, 1946

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर तथा सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 फरवरी, 2025

सं. 09/2025 - सीमाशुल्क (गै.टै.)

सा.का.नि. 120(अ) - सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 7 की उपधारा (2) के साथ पठित की उपधारा (1) के खंड (क) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 61/94-सीमाशुल्क (गै.टै.), दिनांक 21 नवंबर, 1994, जिसे का. आ. 828 (अ), दिनांक 21 नवंबर, 1994 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित किया गया था, में आगे और निम्नलिखित संशोधन करता है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, गुजरात राज्य से सम्बंधित क्रम संख्या 6 के समक्ष, कॉलम (3) में, प्रविष्टि (घ) के बाद और कॉलम (4) में अनुरूप प्रविष्टि के बाद, निम्नलिखित मद एवं प्रविष्टियों को अतः स्थापित किया जाएगा, यथा :-

(1)	(2)	(3)	(4)
		“(ड) राजकोट	आयातित माल की उतराई और निर्यात माल या इसी श्रेणी के माल की लदाई।”।

[फा. सं. सीबीआईसी-52/32/2024]

संजीत कुमार, अवर सचिव

टिप्पणी:- प्रधान अधिसूचना संख्या 61/94-सीमाशुल्क (गै.टे.), दिनांक 21 नवंबर, 1994 को का. आ. 828 (अ), 21 नवंबर, 1994 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित किया गया था तथा इसमें अंतिम बार भारत सरकार के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 19/2024-सीमाशुल्क (गै.टे.) दिनांक 08 मार्च, 2024, सा.का.नि. 167 (अ), दिनांक 08 मार्च, 2024 द्वारा संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)
NOTIFICATION
 New Delhi, the 7th February, 2025
No. 09/2025 - Customs (N.T.)

G.S.R. 120 (E).- In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) read with sub-section (2) of section 7 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Indirect Taxes and Customs hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 61/94-Customs (N.T.) dated the 21st November, 1994, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 828 (E), dated the 21st November, 1994, namely :-

In the said notification, in the Table, against serial number 6 relating to the State of Gujarat, in column (3), after the entry at (d) and corresponding entry in column (4), the following item and entries shall be inserted, namely :-

(1)	(2)	(3)	(4)
		“(e) Rajkot	Unloading of imported goods and the loading of export goods or any class of such goods.”.

[F. No. CBIC-52/32/2024]

SANJEET KUMAR, Under Secy.

Note : The principal notification No.61/94-Customs (N.T.), dated the 21st November, 1994 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 828 (E), dated the 21st November, 1994 and was last amended by notification number 19/2024-Customs (N.T.) dated the 08th March, 2024, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 167 (E), dated the 08th March, 2024.